संख्या-114 /2022/137रा0मा0/22-5-22-01एचआरसी/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक 15 सितम्बर,2022

विषय- जिला कारागार, हमीरपुर के बंदी लेखराज सिंह पुत्र श्री मजबूत सिंह के उपचार के प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मुआवजा धनराशि 20,000/- के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, की संस्तुति दिनांक 09.02.2022 के अनुपालन में जिला कारागार, हमीरपुर के बंदी लेखराज सिंह पुत्र श्री मजबूत सिंह के उपचार में हुई लापरवाही के प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा केस संख्या-8935/24/35/2020 में दिनांक 09.02.2022 को मुआवजा भुगतान की संस्तुति के अनुपालन में प्रश्नगत बंदी को धनराशि रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2022-2023 में कारागार अनुभाग-5 द्वारा शासनादेश संख्या-60/2022/1119जे0/22-5-22-01एचआरसी/ 2022, दिनांक 09.06.2022 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त प्रकरण में गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1280/छ:-मा0-1-21-2(45)/21, दिनांक 31.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस प्रशासन हमीरपुर के उत्तरदायी होने के फलस्वरूप गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 के स्तर से दिनांक 16.03.2022 को निर्गत आदेश के क्रम में अन्तरिम सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। उक्त के दृष्टिगत कारागार अनुभाग-5 द्वारा निर्गत शासनादेश को निरस्त करते हुए धनराशि की वसूली उक्त बंदी से करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एक ही प्रकरण में गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 द्वारा दिनांक 16.03.2022 एवं कारागार विभाग द्वारा मुआवजा स्वीकृति के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-60/2022/1119जे0/22-5-22-01एचआरसी/ 2022, दिनांक 09.06.2022 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए भुगतान की गई धनराशि की वसूली उक्त बंदी से कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि की वसूली यथाशीघ्र सम्बन्धित से कराते हुए उसकी सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-114/2022/137रा0मा0(1)/22-5-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर /अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर को इस आशय से प्रेषित कि आहरण की गयी धनराशि की वसूली बंदी से तत्काल कराते हुये उसकी सूचना शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, हमीरपुर ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

6- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।